भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्र0 /2006 पुनरावलोकन

Reg 176 IV/06
प्रदीप के. श्रीवास्तव अभि.
4.2.06
4 FEB 2006

4.2.06
Pradeep K. Shrivastava Adv.

1. दयाचन्द
2. अजुद्दी
3. कोमल

पुत्रगण– रतन काछी, निवासीगण– ग्राम बागथरी, तहसील खुरई जिला सागर म0प्र0

––– आवेदकगण

विरूद्ध

1. गोरेलाल तनय नन्दलाल (मृतक) वारिसान
   कन्छेदी तनय गोरेलाल
   रामलाल तनय गोरेलाल
   कमला बाई पुत्री गोरेलाल
   समस्त निवासी– बीना (इटावा) तहसील बीना जिला सागर
2. जगन्नाथ पुत्र नन्दलाल (मृतक) वारिसान
   दशरथ तनय जगन्नाथ
   रमेश तनय जगन्नाथ
   सुशीला पुत्री जगन्नाथ
   मझली बहू पत्नी जगन्नाथ
   समस्त निवासी– बीना (इटावा) तहसील बीना जिला सागर
3. हरिराम तनय नन्दलाल
4. गिरधारी पुत्र नन्दलाल

5. परमानन्द पुत्र नन्दलाल
समस्त निवासी– बीना (इटावा) तहसील
बीना जिला सागर

पुनरावलोकन अंतर्गत धारा 51 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.09.05 द्वारा पारित पीठासीन अधिकारी महोदय श्री मनोज श्रीवास्तव सदस्य राजस्व मण्डल प्र. क्र. R-254/11/93 नि.

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरावलोकर निम्न लिखित है :–

1. यह कि, माननीय सदस्य महोदय ने आवेदकगण की निगरानी निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश को यथावत रखा है जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 06.06.86 द्वारा तहसीलदार खुरई के उक्त आदेश को निरस्त किया था जिसमें तहसीलदार ने दिनांक 05.10.83 को वादग्रस्त भूमि पर अनावेदकगण का नाम कम कर दिया था साथ ही अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण पुन' जांच के लिये प्रत्यावर्तित किया था।

2. यह कि, पूर्व में प्रकरण अपर आयुक्म महोदय तक आया और प्रकरण पुनः जांच में गया और इस बीच कलेक्टर ने प्रकरण क्रमाक 7/अ–46/91–92 दिनांक 16.06.92 द्वारा यह निष्कर्ष दिया था कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश तहसीलदार के आदेश को निरस्तीकरण तो सही

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

रिव्यु. प्रकरण कमांक : 176/II/2006 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
24.4.2014	न्यायालयीन प्रकरण कमांक 254/II/1993 में पारित आदेश दिनांक 15.09.2005 के पुनर्विलोकन करने हेतु म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आदेश दिनांक 15–9–05 के पुर्नविलोकन की अनुमति मान. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल से प्राप्त है। 2/ पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित तथ्यों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक के अभिभाषक ने उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जो उन्होंने पुनरावलोकन आवेदन में अंकित किये हैं। 3/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा पुर्नविलोकन आवेदन के समर्थन में दिये गये तर्को पर विचार करने न्यायालयीन आदेश दिनांक 15.09.13 की समीक्षा करने पर पाया गया कि आवेदक के अभिभाषक ने कलेक्टर के प्रकरण कमांक 7 अ 46/91–92 में आदेश दिनांक 16.6.92 में दिये गये निष्कर्ष का पालन न होना बताते हुये न्यायालय से समीक्ष में चूक होने का तथ्य बताया है जबकि यही तथ्य आदेश दिनांक 15.9.05 से निराकृत निराकृत हो चुका हैं। पुनरावलोकन की स्वीकारोक्ति हेतु संहिता की धारा 51 में वर्णित अनुसार पुनरावलोकन आवेदन ठोस आधारों पर आधारित होना	

चाहिये। संहिता की धारा 51 के अनुसार पुनरावलोकन हेतु कम से कम निम्न आधारों में से कोई प्रबल आधार होना चाहिये :-

1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चला लिया है जो सम्यक तत्परता बरतने पर भी उसय समय जब आदेश किया गया था, पक्षकार के संज्ञान में नहीं आई अथवा उसके व्दारा पेश नहीं की जा सकी।
2. मामले के अभिलेख से प्रकट कोई ऐसी भूल या गलती, जो स्पष्ट दिखाई देती हो, भी नहीं बता सके हैं।
3. अन्य ऐसा कोई पर्याप्त कारण भी नहीं बता सके, जिसके आधार पर न्यायालयीन आदेश दिनांक 15--9--05 का पुनरावलोकन किया जाना लाजमी हो।

आवेदक के अभिभाषक आदेश दिनांक 15--9--05 के पुनरावलोकन किये जाने हेतु कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं कर सके एंव यह भी समाधान नहीं करा सके कि उक्त आदेश का पुनरावलोकन किया जाना किन कारणों से लाजमी है। अतः पुनरावलोकन आवेदन अमान्य किया जाता है। पक्षकार टीप्र करें। प्रकरण अंक से कम किया जाकर रिकार्ड रूम में जमा करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर